

Amendment to the Cooperative Societies Act

*328. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering amendment to the Cooperative Societies Act and enacting a Multi-State Cooperative Act;

(b) if so, whether Government have appointed an Expert Committee in this regard and whether the Committee has submitted its report to the Government; and

(c) the main points that will be included in the amendment and by when the amendment Bill is likely to be introduced?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) The Planning Commission constituted a Committee on 'Model Cooperative Act' to consider and finalise a Model State Cooperative Societies Bill. The Committee has submitted its report.

(c) The amendments to be included in the proposed legislative proposal are under consideration of this Ministry.

नवयुग विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाना

*329. श्री रामजीलाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा संचालित नवयुग विद्यालयों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) क्या इन विद्यालयों की मुखिया प्रधान अध्यापिकाएं (हैड मिस्ट्रेस) होती हैं; और

(ग) प्रधान अध्यापिकाओं की पदोन्नति हेतु मानदंड क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्माई): (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके द्वारा कुल आठ नवयुग विद्यालय चलाए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, दो प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडिल स्तर का, एक मिडिल स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे माध्यमिक स्तर का और उसके बाद वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का कर दिया गया है।

(ख) और (ग) उन्होंने यह सूचित किया है कि केवल प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ही प्रधान अध्यापिकाओं के अधीन हैं। विद्यालयों के प्रधानों अर्थात् प्राथमिक विद्यालय की प्रधान-अध्यापिका, मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका, उप-प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की नियुक्ति नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा विधिवत गठित नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। नियुक्तियों के जिन मानदण्डों का पालन किया जाता है, उनका निर्णय संकल्प के माध्यम से समय-समय पर परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लिया गया है, वस्तुतः किसी भी स्कूल विशेष के स्तरोन्नयन पर अब तक नियुक्तियों की पद्धति सीधे और मौजूदा पदों की प्रोन्नति / स्तरोन्नयन, दोनों प्रकार की रही है। अब जबकि, नवयुग स्कूलों को प्रशासित करने के लिए सोसायटी स्थापित की गई है, वह नियुक्तियों के लिए मानदण्डों / नियमों को तैयार कर रही है।

Lack of Schools in Border Areas of Punjab

*330. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of villages in the border areas of Punjab without primary schools, middle schools and higher secondary schools;

(b) the time by which the aforesaid schools are likely to be opened in these villages of the State; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (c) According to the information furnished by Government of Punjab, the total number of villages in the border districts, i.e. Amritsar, Gurdaspur and Ferozepur is 3858. No village is left uncovered without a primary school. There are 462 High Schools and 214 senior Secondary Schools in the border districts. Every year nearly 750 schools are opened/upgraded. The State Government is taking steps to open Middle, High and Senior Secondary Schools as per the requirement of the villages.